

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

08/ज०सं०(नि०) ग्रा०-08-04/2015/राँची, दिनांक-

संकल्प

श्री शशि प्रकाश, तत्कालीन सहायक अभियंता के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-286 दिनांक- 21.01.2016 द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियमावली-1930 के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई जिसमें संचालन पदाधिकारी श्री शेखर कुमार वर्मा (से०नि०, झा०प्र०से०) थे।

का०प्र०सु० तथा राज० विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा श्री शेखर कुमार वर्मा, (से०नि०, झा०प्र०से०) के स्थान पर श्री शुभेन्द्र झा, (से०नि०, भा०प्र०से०) को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री वर्मा के स्थान पर श्री शुभेन्द्र झा को (से०नि०, भा०प्र०से०) को इस कार्यवाही के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 4694 दिनांक- 23.09.2016 द्वारा संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. इसी क्रम में श्री शशि प्रकाश के दिनांक- 28.02.2017 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण विभागीय आदेश ज्ञापांक- 5142 दिनांक 05.12.2017 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43बी में सम्परिवर्तित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी श्री शुभेन्द्र झा, (से०नि०, भा०प्र०से०) का कार्यकाल समाप्त हो जाने एवं का०प्र०सु० तथा राज० विभाग झारखण्ड, राँची के पत्रांक-11393 दिनांक- 14.11.2017 द्वारा श्री ददन चौबे (से०नि०, झा०प्र०से०) को जल संसाधन विभाग का नया जाँच पदाधिकारी नियुक्त किये जाने कारण श्री प्रकाश के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री ददन चौबे को (से०नि०, झा०प्र०से०) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-286 दिनांक- 21.01.2016 की अन्य कंडिकार्यें एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

5. प्रस्ताव पर सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति सहित श्री ददन चौबे (से०नि०, झा०प्र०से०), टी०ए०डिवीजन बिल्डिंग, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक - 5160

/राँची, दिनांक- 06-12-17

प्रतिलिपि : श्री ददन चौबे (से०नि०, झा०प्र०से०), (विभागीय कार्यवाही की मूल संचिका के साथ) टी०ए०डिवीजन बिल्डिंग, धुर्वा, राँची/उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
जल संसाधन विभाग।